I J C R M

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

महानरेगा, रोजगार एवं ग्रामीण विकास की दिशा: भींडर पंचायत समिति (उदयपुर) का आनुभविक अध्ययन

कविता अहीर [1*]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * कविता अहीर

DOI: https:/doi.org/10.5281/zenodo.13880837

Abstract

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष **2005** से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ष **2008** से "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" के रूप में पूरे देश में संचालित किया जा रहा है इसका संक्षिप्त नाम 'महानरेगा' है। महानरेगा कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जरूरतमंद परिवार को एक वित्त वर्ष में **100** दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन को बढ़ावा देना है। कृषि में व्याप्त मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए महानरेगा योजना समाज के गरीब, कमजोर, जरूरतमंद तबके के लिए चलाई जा रही है। ग्रामीण पलायन की समस्या को रोकना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रस्तुत शोध पत्र इन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए उदयपुर जिले की भींडर पंचायत समिति का आनुभविक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों के साथ-साथ प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 18-06-2024
- **Accepted:** 19-07-2024
- **Published:** 02-10-2024
- **IJCRM:**3(5); 2024: 144-147
- **©2024, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Manuscript

कविता अहीर. महानरेगा, रोजगार एवं ग्रामीण विकास की दिशा: भींडर पंचायत समिति (उदयपुर) का आनुभविक अध्ययन. International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary.2024; 3(5):144-147.

KEYWORDS: महानरेगा, रोजगार, ग्रामीण विकास, भींडर, सतत विकास।

1. परिचय

"हमें इस दुनिया के भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए"-- महात्मा गांधी। स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशक बाद भी गांधीवादी दर्शन भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रांति की परिपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उनका राजनीतिक दर्शन एक राज्य विहीन सरल, सहज और स्वावलंबी राज्य का था और ऐसे राज्य का आधार गांव था। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषि आधारित वृहद अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण भारत की मुख्य समस्या बेरोजगारी है। अशिक्षा, अंधविश्वास, संकुचित सोच, गरीबी इस प्रकार की अन्य समस्याएं बेरोजगारी की उपज होती है अतः बेरोजगारी की समस्या का निराकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि रोजगार की दिशा में भारत में यह पहला प्रयास था, बल्कि इससे पूर्व भी ग्रामीण रोजगार की अनेक योजनाएं संचालित की गई है जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 2002 में काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2004, रोजगार गारंटी योजना, 2004 जैसे व्यापक कार्यक्रम संचालित किया जा चुके हैं। इन सब योजनाओं के बावजूद रोजगार वृद्धि की दिशा में आशानुरूप प्रगति संभव नहीं हो सकी।[1]

© 2024 कविता अहीर. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों के अनुभव एवं आधुनिक तकनीक के मध्य बेहतर तालमेल बिठाकर महानरेगा योजना को संचालित किया जा रहा है अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन का शीर्षक "महानरेगा योजना का प्रभाव: भींडर पंचायत समिति, जिला उदयपुर, राजस्थान का अनुभाविक अध्ययन है"। वर्ष 2005 से शुरू ' नरेगा ' कार्यक्रम की प्रगति का अध्ययन एवं उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का विश्लेषण करने से धरातल की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा जिससे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की पहचान एवं समय रहते इन समस्याओं के निदान हेतु उपयुक्त समाधान सुझाए जा सके ताकि संभावित दुष्परिणामों से भी बचा जा सके। यह प्रयास महानरेगा कार्यक्रम को न केवल निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने बल्कि ग्रामीण रोजगार के लक्ष्य को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। मनरेगा योजना के लक्ष्य एवं सकारात्मक प्रतिफलों की जानकारी प्राप्त करने में यह अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। यह अध्ययन उदयपुर जिले में भींडर पंचायत समिति में महानरेगा योजना के प्रभाव से होने वाले सामाजिक, आर्थिक विकास और परिवर्तन का आकलन है। साथ ही लेख द्वारा कार्यक्रम में उभरने वाले मुद्दों, नवीन तथ्यों को शामिल किया गया है।

2. शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- महानरेगा योजना की उपलब्धियों एवं स्थानीय स्तर पर विद्यमान चुनौतियों की तलाश करना।
- महानरेगा कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति को जानना और इसकी समस्याओं का पता लगाना।
- महानरेगा कार्यक्रम का भींडर पंचायत समिति के संदर्भ में आनुभविक अध्ययन करना।
- महानरेगा कार्यक्रम की सफलता हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है जिसमें अध्ययन क्षेत्र के रूप में भौगोलिक एवं प्रशासनिक रूप से वर्गीकृत राजस्थान के उदयपुर जिले की भींडर पंचायत समिति का चयन किया गया है। निर्देशन पद्धति के अंतर्गत उदयपुर जिले की भींडर पंचायत समिति जिसकी 95% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं, का चयन करते हुए महानरेगा श्रमिकों (अनुसूचित जाति, जनजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, महिला, पुरुष) को उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार वर्ष 2023-24 की समय अवधि के अंतर्गत कुल 200 उत्तरदाताओं को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया है। प्राथमिक संमकों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची बनाई गई जिन्हें महानरेगा कार्यक्रम के लाभार्थीयों से व्यक्तिगत अवलोकन एवं प्रत्यक्ष वार्तालाप के माध्यम से भरवारा गया है। संकलित संमकों को व्यवस्थित, वर्गीकृत एवं सारणीकृत कर विश्लेषित किया गया। इसके साथ ही, महानरेगा कार्यक्रम से संबंधित उपयोगी सामग्री के रूप में उपलब्ध द्वितीय स्रोतों (सरकारी दस्तावेजों, शोध पत्रिकाओं, शोध कार्यों पुस्तकों एवं लेखों) का भी उपयोग किया गया है।

महानरेगा योजना की उपलब्धियां

महानरेगा योजना के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हाशिए एवं पिछले तबके के श्रमिकों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान करते हुए उनकी सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान ग्रामीण परिदृश्य में युवा एवं सभी आयु वर्ग के लोग जाति पाति की संकुचित बेड़ियों को तोड़कर दूसरे समुदाय के साथ भोजन करने उठने- बैठने एवं विचारों के आदान-प्रदान को महत्व देने लगे हैं।[2] ग्रामीण क्षेत्रों में समानता के अधिकार के कारण दूसरे मनुष्य के जाति वर्ग नस्ल एवं लिंग को आधार बनाकर किए जाने वाले भेदभाव में अप्रत्याशित कमी आई है। जिसमें महानरेगा योजना का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है।

भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय संस्कृति में पंचमहाभूत को पूजा जाता है और ऋतुओं के आधार पर खेती की जाती है। किसान मजदूर ना होकर मालिक होता है। अन्न निर्जीव नहीं, अपितु पूजनीय, वंदनीय माना जाता है। धरती को माता मानकर प्रत्येक गतिविधि संपन्न की जाती है। प्रातः उठने के बाद प्रथम चरण धरती पर रखने से पहले उसे नमन किया जाता है। किसान को कर्मयोगी माना गया है, परंतु विज्ञान ने हमारी वसुंधरा को बंजर बना दिया है।[3] फसल विष से युक्त हो गई है। कृषक आत्महत्या करने की ओर प्रेरित हो रहे हैं और सामान्य मनुष्य कीटनाशक उर्वरक युक्त जहरीला अनाज खाने के लिए विवश है। इससे लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस पर कोई रोकथाम के उपाय कारगर सिद्ध होते नहीं दिखाई देते क्योंकि अंधाधुंध विकास के नाम पर मशीनों एवं तकनीकी प्रगति के कारण धरती का अति-दोहन किया जा रहा है। ऐसे समय महानरेगा योजना में मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर प्रकृति संरक्षण के दिशा में एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

सतत विकास लक्ष्य के अनुसार आर्थिक विकास के साथ ही नागरिकों के बीच समानता, सुरक्षा, समृद्धि और न्यायपूर्ण व्यवस्था को भी शामिल करते हुए समावेशी विकास की ओर अग्रसर होना है। भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में आधे से भी कम है। एनएसएसओ-2012 और आई.एम.एफ की रिपोर्ट के अनुसार श्रमबल में लिंगानुपात की बराबरी हो जाने पर भारत के जी.डी.पी. में 27% की वृद्धि की जा सकती है (आई.एम.एफ 2015)।[4] भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1974 से लागू है, लेकिन पहली बार समान पारिश्रमिक देने वाला कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर 2009 में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2009 (महानरेगा) के रूप में सामने आया जिसमें 100 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी के साथ ही महिलाओं को भी समान वेतन का प्रावधान किया गया है।

इसके सकारात्मक परिणामों के रूप में विगत वर्षों में महानरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 60% तक आंकी गई है। महिलाओं के हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक हितों विशेषकर बच्चों के हितों से अंतर्संबंधित होते हैं अतः केंद्रीय योजनाओं की प्राथमिकता महिला हित होना स्वाभाविक है। भारत में महिला सशक्तिकरण के जो प्रयास किया जा रहे हैं। उनके परिणामस्वरुप परिदृश्य बदला हुआ है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। दूसरी और युवतियों को घर के कामों में उलझा कर रखने की मानसिकता से वांछित मानसिक सुधार नहीं हुआ है। भारत जैसे

© 2024 कविता अहीर. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

विकासशील देश में महिला श्रम बल भागीदारी को सही अर्थों में अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहना किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं होगी।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास को मदद करने वाला एक सबसे अहम कारक है- प्रौद्योगिकी का उपयोग और उस पर दिया जा रहा जोर। नगदी रहित अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया जैसे कदमों और प्रयासों से अर्थव्यवस्था में तेजी परिलक्षित हुई है।[5] अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका देखी गई है। प्रौद्योगिकी विकास से ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजना महानरेगा में अप्रत्याशित सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकी के कारण संचार अधिक तेज हुआ है। इससे भौगोलिक दूरियां कम करने में सहायता मिली है। महानरेगा योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों से सरकार की नगद सब्सिडी हस्तांतरण योजना में मदद मिली है।

महानरेगा योजना के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

राजस्थान में महानरेगा मजदूरों के लिए 266 रुपए प्रतिदिन मजदूरी निर्धारण की गई है लेकिन टास्क के आधार पर मजदूरी का निर्धारण होने से सभी मजदूरों को उनके काम के आधार पर ही कम अधिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

तालिका संख्या 1: राजस्थान में महानरेगा श्रमिकों की औसत मजदूरी

वर्ष	औसत मजदूरी (रुपयों में)
2020-21	169.51
2021-22	182.62
2022-23	189.77
2023-24	200.89

स्रोत: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

राजस्थान में महानरेगा श्रमिकों को वर्ष 2020-21 में 169.51 रूपये, वर्ष 2021-22 में 182.62 रूपये, वर्ष 2022-23 में 189.77 रूपये एवं वर्ष 2023-24 में 200.89 रूपये प्रतिदिन औसत मजदूरी सरकार द्वारा दी गई है।

एक ओर तो सरकार महानरेगा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर रही है वहीं दूसरी ओर उदयपुर जिले में 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में हर साल कमी होती जा रही है। इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार मुहैया नहीं होने से निराशा मिल रही है।

तालिका संख्या 2: महानरेगा योजनान्तर्गत 100 दिन रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (2020-21 से 2023-24 तक)

वर्ष	राजस्थान	उदयपुर	भींडर
2020-21	1,23,148	48,999	1127
2021-22	9,91,738	40,560	1525
2022-23	4,53,500	12,609	437
2023-24	5,09,471	18,138	1025

स्रोत: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उदयपुर जिले से वर्ष 2020-21 में 48,999 परिवारों, वर्ष 2021-22 में 40,560 परिवारों, वर्ष 2022-23 में 12,609 परिवारों, वर्ष 2023-24 में 18,138 परिवारों को 100 दिन का रोजगार महानरेगा योजना में मिल सका जो कि चिंता का विषय है। इसी तरह 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। वहीं, कई ग्राम पंचायतों में पर्याप्त जगह की उपलब्धता नहीं होने से ग्रामीणों को समुचित रोजगार नहीं मिल पाता है। राजस्थान की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-21 में 12,31,428, वर्ष 2021-22 में 9,91,738 वर्ष 2022-23 में 4,53,500 एवं वर्ष 2023-24 में 5,09,471 परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल सका। ऐसे में राज्य स्तर पर रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में पहले के मुकाबले कमी आई है।

भींडर पंचायत समिति के संदर्भ में देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2020-21 में 1127, वर्ष 2021-22 में 1525, वर्ष 2022-23 में 437 एवं वर्ष 2023-24 में 1025 परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल सका है जो इसकी खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।

महानरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए जाने वाले कार्यों की सूची बहुत लंबी है परंतु अध्ययन क्षेत्र में ऐसा देखा गया कि कुछ निर्धारित कार्यों को ही ग्राम पंचायत प्राथमिकता देती हैं जिससे अन्य महत्त्वपूर्ण और उपयोगी कार्य दुर्लक्षित हो रहे हैं।

4. महानरेगा योजना में सुधार हेतु सुझाव

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की स्थिति चिंता जनक है। बारिश के पानी के उचित संरक्षण के अभाव में जल जीवन अस्त व्यस्त होने के साथ-साथ वर्षा जल बहकर व्यर्थ हो रहा है। आपदा प्रबंधन कमजोर होने से उसकी कीमत सामान्य जन को अपने जीवन की बलि देकर चुकानी होती है। ऐसे समय में महानरेगा योजना के अंतर्गत आपदा प्रबंधन हेतु विशेष रणनीति बनाकर भविष्य के लिए उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार पौधारोपण कार्य में भी महानरेगा श्रमिकों की मदद ली जा सकती है पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त माह में अनगिनत पौधे लगाए जाते हैं परंतु उनकी समय पर देखभाल नहीं होने से और समय पर खाद- पानी नहीं डालने से अधिकांश पौधे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे समय में सरकारी स्थलों, ग्राम पंचायतों, मुक्तिधाम, श्मशान घाट, गौशाला, चरणोट जमीनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पौधों की सुरक्षा एवं रखवाली तथा नियमित खाद पानी डालने के लिए महानरेगा योजना के अंतर्गत महानरेगा मजदूर को नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार महानरेगा कार्यक्रम को वास्तविक धरातल पर उपयोगी बनाने हेतु कई परिवर्तनशील उपाय ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाने आवश्यक है।

5. निष्कर्ष

शोध अध्ययन से पता चलता है कि उदयपुर जिले में महानरेगा योजना से कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले अकुशल मजदूरों की मजदूरी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। शोध अध्ययन में मनरेगा योजना से ग्रामीण पलायन और रोजगार पर पड़ने वाले का प्रभाव का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उदयपुर जिले में महानरेगा से ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होने के साथ-साथ ग्रामीण अवसंरचना में सुधार हुआ है। गांव में रोजगार के अवसर सृजित करने से ग्रामीण पलायन की समस्या को काफी हद तक रोकने में सफलता मिली है। महानरेगा योजना से ग्रामीणों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई है। जीवन की मूलभूत

© 2024 कविता अहीर. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महानरेगा श्रमिक सक्षम हुए हैं। महानरेगा लाभान्वितों की आय में वृद्धि हुई है जिससे वे घरेलू जरूरत की वस्तुओं को खरीदने में सक्षम हुए हैं। साथ ही महानरेगा लाभान्वित स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च करने में समर्थ हुए हैं। महानरेगा योजना से ग्रामीण अन्य सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक होकर उनका लाभ उठाने में रुचि ले रहे हैं।

शोध अध्ययन के दौरान महानरेगा योजना में आवश्यक सुधारों की जानकारी चाहने पर लाभान्वितों ने समय पर मजदूरी भुगतान, मजदूरी दर में वृद्धि और वर्ष में 100 दिन के रोजगार को अपर्याप्त बताते हुए उसमें वृद्धि को आवश्यक बताया। लाभान्वितों ने काम के आधार पर मजदूरी के निर्धारण में सुधार करने की बात कही। दैनिक मजदूरी में व्याप्त अनिश्चितता को दूर करने की जरूरत पर बल दिया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. किर्दक BH. भारत में सामाजिक समस्या. जयपुर: इशिका पब्लिशिंग हाउस; 2017. पृ. 125.
2. जांगड़े चेतानंद, गजपाल एलएस. कॉविड-19 लॉकडाउन पश्चात प्रवासी महिला मजदूरों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण. राधा कमल मुखर्जी चिंतन परंपरा. 2023 Jul-Dec. पृ.122.
3. त्रिपाठी KK, सिंगला एसके. कॉविड-19 के बाद ग्रामीण रोजगार में मनरेगा की भूमिका. कुरुक्षेत्र. नई दिल्ली: वर्ष 66 मासिक अंक-9; 2020 Jul. पृ.18.
4. नरवानी जीएस. महानरेगा मैन्युअल. जयपुर: सूर्य प्रकाशन मंदिर; 2010. पृ.117.
5. शर्मा गिरिराज. पंचायती राज और कमजोर वर्ग. जयपुर: आलेख पब्लिशर्स; 2008. पृ. 77.
6. Available from: https://nrega.nic.in
7. Available from: https://nregastrep.nic.in

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2024 कविता अहीर. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/